पुनरसी ...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर०ए०एस

मि०न० — 36/2021

1. धन्नी पत्नी लखीराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. मनीराम पुत्र लखीराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. औमप्रकाश पुत्र लखीराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. जयकरण पुत्र लखीराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. काशीराम पुत्र लखीराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।

:—प्रार्थीगण

बनाम्

1. मांगेराम पुत्र बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
2. मदनलाल पुत्र बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
3. हरकौरी पत्नी बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
4. पार्वती पुत्री बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
5. मैना पुत्री बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
6. सन्तरो पुत्री बनवारीलाल जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
7. श्रीराम पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
8. दुलीचंद पुत्र सरदाराराम जाति मेघवाल निवासी भरवाना तहसील भादरा।
9. कमला पुत्री लखीराम जाति जाट निवासी भरवाना तहसील भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज० कॉल० एक्ट</u>

उपस्थिति :—श्री श्रवण सहारण प्रार्थीगण
श्री नन्दूसिंह गोदारा अप्रार्थी

दिनांकः 2/5/2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 5 एमएसआर के खाता सं० 27/30 के मु० न० 13 के किला न० 11 ता 20, मु० न० 17 के किला न० 11 ता 15, 18 ता 23, मु० न० 27 के किला न० 12 ता 15, कुल 6.325है० मय रास्ता खाला की खातेदारी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण कमला के नाम से खातेदारी दर्ज है। उक्त खातेदारी के तीन अलग अलग खेत है जो मु० न० 13, 17 व 27 में पडते है। प्रार्थीगण की चक 5 एमएसआर के मु० न० 17 व 13 के जो दो खेत बने हुये है उनके बीच में अप्रार्थीगण की चक 5 एमएसआर के खाता सं० 58/42 के मु० न० 13 के किला न० 21 ता 25, मु० न० 14 के किला न० 21, मु० न० 17 के किला न० 1 व 10, मु० न० 18 के किला न० 1 ता 25, मु० न० 19 के किला न० 5 व 6 कुल 8.855है० मय खाला रास्ता की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:06:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण की चक 5 एमएसआर के [illegible] 17 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम पत्थर लाईन से स्वीकृतशुदा रास्ता है [illegible] अपने खेत चक 5 एमएसआर के मु० न० 17 में प्रवेश करते है [illegible] मु० न० 17 के किला न० 11, 20 व 21 में से होते हुये अप्रार्थीगण के किला न० 1 व [illegible] के पत्थर लाईन से [illegible] हुये मु० न० 14 के किला न० 21 में पत्थर लाईन पर दक्षिणी पश्चिमी कोना सवा आठ फीट गुणा सवा आठ फीट से होते हुए वहां पर बनी पुलिया से अप्रार्थीगण के मु० न० 13 के किला न० 25 में प्रवेश कर पत्थर लाईन से दक्षिण से उत्तर की तरफ चलकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी मु० न० 13 के किला न० 16 में प्रवेश करता आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी में

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

आवागमन के लिए अन्य कोई चालू या स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उपरोक्त किला में प्रार्थी रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थीगण सं0 1 ता 8 ने जरिये वकील उपस्थिति दर्ज करवाई। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच हेतु तहसीलदार भादरा से रिपॉर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी रोही चक 5 एमएसआर के मु0 न0 13 के किला न0 16 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थीगण की चक 5 एमएसआर के मु0 न0 17 के किला न0 1 व 10 में से पत्थर लाईन से दक्षिण से उत्तर के लिए एक–एक बिस्वा रास्ता एवं मु0 न0 14 के किला न0 21 में दक्षिणी पश्चिमी कोना पर सवा आठ गुणा सवा आठ फीट कोना तथा मु0 न0 13 के किला न0 25 में दक्षिण से उत्तर के लिए एक बिस्वा अर्थात सवा आठ फीट चौडाई में रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण अपनी खातेदारी रोही चक 5 एमएसआर के मु0 न0 13 के किला न0 16 में प्रवेश करने के लिये अप्रार्थीगण की चक 5 एमएसआर के मु0 न0 17 के किला न0 1 व 10 में से पत्थर लाईन से दक्षिण से उत्तर के लिए एक–एक बिस्वा रास्ता एवं मु0 न0 14 के किला न0 21 में दक्षिणी पश्चिमी कोना पर सवा आठ गुणा सवा आठ फीट कोना तथा मु0 न0 13 के किला न0 25 में दक्षिण से उत्तर के लिए एक बिस्वा अर्थात सवा आठ फीट चौडाई में रास्ता स्वीकृत करवाने का निवेदन किया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे अप्रार्थीगण के चक 5 एमएसआर के मु0 न0 17 के किला न0 1 व 10 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उत्तर प्रत्येक किले में एक–एक बिस्वा यानि 0.026है0, एवं मु0 न0 14 के किला न0 21 के दक्षिंणी पश्चिमी कोने में 0.001है0, तथा मु0 न0 13 के किला न0 25 के पूर्वी तरफ दक्षिण से उत्तर एक बिस्वा अर्थात 0.013है0, इस प्रकार कुल 0.040है0 रास्ता स्वीकृत रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करे। उक्त रास्ता की भूमि के एवज में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई [illegible] दर के अनुसार अप्रार्थीगण को प्रतिफल राशि दिलायी जाकर ही [illegible] रिकार्ड में दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.09 11:06:45 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 2/5/2025 को मेरे [illegible]रा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़